28/06/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित है। प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ताओं को तीन बार आवाज दिलायी गयी। यह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसे में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार खानपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी।

हमने वाद पर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी व पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। वादी ने इस आशय का वाद पेश किया है कि ग्राम देवपुरा की ख0नं0 408/472 की 3.00 बीघा आराजी वादी के खाते व कब्जे काश्त की है। इसके लगवां ही प्रति0 1 लगा0 4 के खाते की ख0नं0 408/473 रकबा 3.00 बीघा व ख0नं0 408/475 की 3.00 बीघा आराजी स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में रिश्तेदार हैं, जो वादी की आराजी पर कब्जा करने की नियत रखते हैं। यदि यह अपने मन्सूबे में कामयाब हो गये तो उसे सारवान नुकसान होगा जिसका अंकन द्रव्य में नहीं किया जा सकेगा, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि वह वादी के खाते, कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 408/472 रकबा 3.00 बीघा ग्राम देवपुरा पर जबरन अतिक्रमण न करें और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट उत्पन्न न करें और न ही किसी प्रतिनिधी के माध्यम से ऐसा करावें।

वादी के निवेदन पर तहसीलदार खानपुर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार खानपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2019 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख0नं0 408/472 रकबा 3.00 बीघा ग्राम देवपुरा पर प्रतिवादी नं0 1 छीतरलाल ने कब्जा कर रखा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। यहां वादी वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है व अनुसूचित जाति का गरीब व वंचित व्यक्ति है, जिसके अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व बनता है। वहीं प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता बावजूद के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे भी यही प्रकट होता है कि इनको वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में वादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा धारा 209 आर0टी0एक्ट 1955 में न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये ग्राम देवपुरा की ख0नं0 408/472 रकबा 3.00 बीघा से प्रतिवादी नं0 1 छीतरलाल को मौके से बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाने की आज्ञा पारित की जाती है। साथ ही प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह भविष्य में इस आराजी पर जबरन अतिक्रमण न करें और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट न तो स्वंय उत्पन्न करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से ऐसा करावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 28/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner